

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0 / पूर्णपीठ / 1029 / 21, लखनऊ:दिनांक::जून, 08 ,2021

--: आदेश :-

उत्तर प्रदेश, वैट नियमावली-2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन दिनांक 22.06.2021 को पूर्णपीठ से सम्बंधित वादों के निस्तारण हेतु मुख्यालय पर पूर्ण पीठ का गठन किया जाता है।

गठित पूर्ण पीठ में मेरे अतिरिक्त श्री विनय सिंह, सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1 लखनऊ तथा श्री राजेश कुमार जैन, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2 लखनऊ, सम्मिलित होंगे।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारी अवगत होने का कष्ट करें।

ह0 / 08.06.2021

(महताब अहमद)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0 / पूर्णपीठ / 1029 / 2021 तद्दिनांक::

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1 व 2 लखनऊ
- 2- मुन्सरिम / पेशकार / वरिष्ठ सहायक विवरण / कम्प्यूटर मुख्यालय।
- 3- आदेश की अनुरक्षण पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,


(तरुण कुमार)

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।